कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांकः– 81 /25 बजट (प्रतिकर भुगतान–रा0से0)/2018–19 दिनांकः– 16 .05.2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–।/स्तर–।।,
क्षेत्रीय/ए0डी0बी0/रा0मा0 कार्यालय लो0नि0वि0,
देहरादून/नई टिहरी/पौड़ी/पिथौरागढ़/देहरादून/देहरादून।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक–5054 (पूँजीगत) सड़क/भवन एंव सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू–अर्जन तथा क्षति प्रतिकर भुगतान हेतु आवंटन।

सन्दर्भः शासनादेश संख्या–1502/।।। (2)/18–02 (बजट)/2018 दिनांक–09.04.2018

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक–505404337040024 (पूँजीगत) सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मद में ₹ 30.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष फील्ड अधिकारियो से प्राप्त विभिन्न प्रकरणो में भू–अर्जन, भूमि प्रतिकर भुगतान तथा क्षतिप्रतिकर भुगतान हेतु सूचित धनावंटन की मॉग के कम में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार (26 प्रकरण) कुल ₹ 7.7429917 करोड़ (₹ सात करोड़ चौहत्तर लाख उनतीस हजार नौ सौ सत्रह मात्र) की धनराशि निम्नवर्णित शर्तो के अन्तर्गत आबंटित की जाती हैं।

आबंटन की शर्ते (1) संलग्न सूचीनुसार आवंटित धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा प्रतिकर/मुआवजे/फसल/फलदार वृक्षों की क्षतिप्रतिकर का भुगतान जिलाधिकारी/उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर सम्बन्धित पक्षों को दिनांक 28.02.2019 से पूर्व नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार आवंटित भू–अर्जन/भूमि प्रतिकर/क्षति प्रतिकर धनराशि का भुगतान सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षकारों के पक्ष में नियमानुसार एवं अविलम्ब न किये जाने तथा आवंटित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षकारों को विलम्ब से किये जाने के फलस्वरूप यदि सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षकारों द्वारा संशोधित दरों अर्थात बढ़ी हुई दरों के आधार पर प्रतिकर भुगतान की जाती है तो संशोधित वृद्वि हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णतः उत्तरदायी मानें जायेंगे, तथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित सम्मिलित कास्तकारो को उनके नाम के सम्मुख देय भूमि प्रतिकर धनराशि का भुगतान आवश्यक जॉच–परीक्षण एवं सत्यापन के उपरान्त ही नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार आवंटित धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आवंटित धनराशि का प्राविधान सम्बन्धित कार्यो/मार्गो के मूल आगणन में सम्मिलित नही था और न हीं उक्त प्रतिकर भुगतान हेतु किसी अन्य योजना/मद में सम्बन्धित प्रतिकर भुगतान के लिये वित्तीय उपलब्धता थी।

(4) आवंटित धनराशि का निर्धारित समयान्तर्गत भुगतान न किये जाने, धनराशि लैप्स किये जाने, डुप्लीकेट भुगतान, दरों से अधिक भुगतान तथा नियमविरूद्व किये गये भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

(5) संलग्न सूचीनुसार वर्णित कार्य वर्तमान में किन्ही कारणों से अन्यत्र खण्ड में हस्तान्तरित हो गये हो अथवा इन कार्यो में प्रतिकर का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हो तो आवंटित धनराशि पूर्ण विवरण सहित एक सप्ताह के अन्तर्गत इस कार्यालय को तत्काल वापस कर दी जाय, ताकि यह धनराशि सम्बन्धित खण्ड अथवा अन्य प्रकरणों में आवंटित की जा सके।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।

(7) उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक 5054 सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य–04 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण 00–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्नः कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (3 पृष्ठ)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0–सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– जिलाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी/नई टिहरी/चमोली/रूद्रप्रयाग/पौड़ी/पिथौरागढ़।
4– वित्त नियत्रंक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. उत्तराखण्ड देहरादून। साख–सीमा जारी करने हेतु।
5– अधीक्षण अभियन्ता .... वृत्त लोक निर्माण विभाग ....।
6– वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, (नोडल, वनभूमि प्रकरण/भूमि अध्याप्ति) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून ।
7– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/ए0डी0बी0/रा0मा0 खण्ड लोक निर्माण विभाग ....।
8– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, नियोजन वर्ग–।।।, कार्या. प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि. देहरादून को सूचनार्थ एवं संकलन की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (3 पृष्ठ)

16/5/18

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

15.5.2018

पत्र संख्या 81 /25 बजट (प्रतिकर भुगतान–रा0से0)/2018–19 दिनांक 16/05/2018 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में सड़कों तथा सेतुओ के भूमि प्रतिकर, भू–अर्जन एवं क्षति प्रतिकर आदि के भुगतान हेतु आवंटन।

अनुदान संख्या– 22, लेखाशीर्षक 5054–04–337–04–00–24 (पूँजीगत) (धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	मार्ग/प्रकरण का नाम	खण्ड का नाम	अनुमोदन/स्वीकृति का संदर्भ	अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित लागत	वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवशेष/मॉग	वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	जनपद देहरादून में राजपुर–नांगल–सहस्त्रधारा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित भूमि का प्रतिकर भुगतान (श्री सत्यपाल पुत्र स्व0 श्री प्रेम सिंह, श्री सोहन सिंह, श्री करण सिंह, श्री सत्य सिंह, पुत्र स्व0 श्री मोहर सिंह, श्री अनिल कुमार पुत्र स्व0 श्री रघुवीर सिंह, श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रघुबीर सिंह, निवासी ग्राम तरला नांगला, पो0 कुल्हान देहरादून से सम्बन्धित प्रतिकर धनराशि रू0 43,55,000 लाख एवं कमाण्डर श्री सुरेशधारी सिन्हा पुत्र श्री मदनधारी सिंन्हा निवासी बादाम हाउस पटना से सम्बन्धित प्रतिकर भुगतान रू0 38.,55000.00)	प्रा0ख0 देहरादून	अधीक्षण अभियन्ता, नवॉ वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र संख्या 1604/14 सी0–9/18 दि0 02.04.2018	82.30	82.30	82.30
	योग, प्रान्तीय खण्ड देहरादून			**82.30000**	**82.30**	**82.30000**
2	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर में देहरादून–रायपुर मोटर मार्ग के चौड़ीकरण में प्रभावित भूमि का क्षतिपूर्ति प्रतिकर भुगतान। (श्रीमती नीता गोयल, पत्नी श्री नीरज गोयल से सम्बन्धित प्रतिकर धनराशि रू0 14,52,000, श्री सुनीता गुप्ता पत्नी श्री सुनील कुमार गुप्ता से सम्बन्धित प्रतिकर धनराशि रू0 14,52,000, श्रीमती आशा सिंघल पत्नी श्री विजय कमार सिंघल से सम्बन्धित प्रतिकर धनराशि रू0 14,52,000 + रजिस्ट्रेशन फीस रू 30,000)	अ0ख0 ऋषिकेश	अधीक्षण अभियन्ता, नवॉ वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र संख्या 1248(।।)/15(।)सी0–9/18 दि0 21.03.2018	43.86	43.86	43.86
3	जनपद देहरादून में नालापानी मार्ग से स्थल तक मोटर मार्ग से प्रभावित श्री दर्शन लाल कोठारी पुत्र श्री पुरूषोत्तम कोठारी की भूमि का क्षतिपूर्ति प्रतिकर भुगतान, रजिस्ट्रेशन फीस सहित।	अ0ख0 ऋषिकेश	अधीक्षण अभियन्ता, नवॉ वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र संख्या 1248(।)/15(।)सी0–9/18 दि0 21.03.2018	62.15	62.15	62.15
4	केन्द्रीय सड़क निधि (सी0आर0एफ0) के अन्तर्गत जनपद देहरादून में जौलीग्रान्ट–थानों–रायपुर सहस्त्रधारा मोटर मार्ग के किमी0 14 में 75 मी0 लम्बाई में पी0ए0सी0 सेतु के निर्माण के पहुँच मार्ग में आने वाली भूमि का प्रतिकर (7 कास्तकारों हेतु)	अ0ख0 ऋषिकेश	अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र संख्या 2069/15(1)सी0–9/18 दि0 28.04.2018	43.82538	43.82538	43.82538
5	केन्द्रीय सड़क निधि (सी0आर0एफ0) के अन्तर्गत जनपद देहरादून में जौलीग्रान्ट–थानों–रायपुर सहस्त्रधारा मोटर मार्ग के किमी0 14 में 75 मी0 लम्बाई में पी0ए0सी0 सेतु निर्माण के पहुँच मार्ग में आने वाली भूमि का प्रतिकर (2 कास्तकारों हेतु)	अ0ख0 ऋषिकेश	अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र संख्या 2068/15(1)सी0–9/18 दि0 28.04.2018	23.81400	23.81400	23.81400
	योग, अस्थाई खण्ड ऋषिकेश			**173.64938**	**173.64938**	**173.64938**
6	जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत डुण्डा कुराह हल्का वाहन मोटर मार्ग निर्माण कार्य एवं सुधार कार्य से क्षतिग्रस्त अध्याप्त भूमि, फसल एवं मलवा सफाई व फसल का प्रतिकर भुगतान।	प्रा0ख0 उत्तरकाशी	अधीक्षण अभियन्ता, छठवॉ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 874/84 सी0–06/2018 दि0 15.03.2018	6.44875	6.44875	6.44875
7	जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत ब्रहमखाल–जुणगा मोटर मार्ग निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त अध्याप्त खेतों एवं मलवा सफाई व फसल का प्रतिकर भुगतान।	प्रा0ख0 उत्तरकाशी	अधीक्षण अभियन्ता, छठवॉ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 1057/84 सी0–06/2018 दि0 13.04.2018	4.63628	4.63628	4.63628
	योग, प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी			**11.08503**	**11.08503**	**11.08503**
8	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बनचौरा–मुरोगी मोटर मार्ग के निर्माण से क्षतिग्रस्त भूमि, फसल एवं पेड़ों का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 उत्तरकाशी	अधीक्षण अभियन्ता, छठवॉ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 3525/90 सी0–06/2017 दि0 05.09.2017	68.15533	66.78533	66.78533
	योग, निर्माण खण्ड उत्तरकाशी			**68.15533**	**66.79**	**66.78533**
9	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में विश्व बैंक खण्ड पोषित योजना के अन्तर्गत ग्राम ओसला पवाणी में सुपिन–बडासू नदी पर 80 मी0 स्पान के झूला सेतु निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 पुरोला	अधीक्षण अभियन्ता, छठवॉ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 1956/86 सी0–06/2018 दि0 03.05.2018 एवं कार्या0 मुख्य अभियन्ता, (विश्व बैक) पी0आई0यू0, (रोड़ एण्ड ब्रिज) यू0डी0आर0पी0, देहरादून का पत्र संख्या 838/09 याता/18 दि0 08.05.2018	1.03758	1.03758	1.03758
	योग, निर्माण पुरोला			**1.03758**	**1.04**	**1.03758**
10	यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान ओजरी (डबरकोट) में हुये भू–स्खलन से मार्ग अवरूद्व होने पर निर्मित किये गये वैकल्पिक मार्ग से प्रभावित कास्तकारों की भूमि/वृक्षों का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 बड़कोट	अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 1784/।।।(2)/18–48(प्रा0आ0)/17 दि0 04.05.2018	74.36	74.36	74.36
	योग, निर्माण खण्ड बड़कोट			**74.36**	**74.36**	**74.36**